प्रेम देवी बनाम रोडी देवी वगै0

वाद संख्या 107/2021

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17.06.2022	पत्रावली पेश. हुई। वकील वादीया अनुपस्थित एवं वकील प्रतिवादीगण उपस्थित आज पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 प्रतिवादी संख्या 1 रोडी देवी की ओर से प्रस्तुत किया गया पर सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादीया द्वारा वाद में मुख्य अनुतोष वादग्रस्त भूमि का विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत चाहा है परन्तु वादीया द्वारा वाद पत्र के माध्यम से एक ही खाता का तकास्मा नहीं चाह कर भिन्न भिन्न खातो का तकासमा करवाने हेतू वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसमें पक्षकार भी समान नहीं है अर्थात एक समान खातेदार नहीं होने के बावजुद भी वादीया ने एक ही वाद बाबत वादग्रस्त भूमि का विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया हैं जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(5) में वर्णित स्पष्ट प्रावधानों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जो विधि विपरीत होने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र व जबाव प्रार्थना पत्र किये गये कथनों और विधि के प्रावधानों का अनुसरन करने पर प्रकट होता है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद एक खाते पर प्रस्तुत नही कर एक ही वाद में अन्य खातों पर भी वाद प्रस्तुत किया है परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में जमाबन्दी मे समान पक्षकार ना होकर असमान पक्षकार संयोजित किये गये है जिसके कारण वादीया द्वारा विधि के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से अवहेलना की गयी है। विधि में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि एक से अधिक जोत के बंटवारे के लिए एक ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है कि बशर्ते कि पक्षकार वे ही हों अर्थात समान हो। इस स्तर पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद विधि के प्रावधानों के विपरित होने के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (जिला)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:58 IST
Reason: SelfAttested